क्रम-संख्या—158 (ग)

रजिस्ट्रेशन नम्बर—एस०एस०पी० / एल०—
डब्लू० / एन०पी०—91 / 2014—16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 18 सितम्बर, 2025

भाद्रपद 27, 1947 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग—6

संख्या 1494 / 81-6—2025(1825635)

लखनऊ, 18 सितम्बर, 2025

अधिसूचना

प0आ0—167

चूँकि संसद द्वारा दिनांक 15 फरवरी, 2024 को अधिसूचित जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) संशोधन अधिनियम, 2024 (सन् 2024 का संख्या 5) को अधिनियमित किया गया था;

और चूँकि, इस संशोधन अधिनियम का उद्देश्य देश में व्यापार करने में सुगमता और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के अध्यक्ष के नामांकन की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित बनाए जाने के लिये मूल अधिनियम जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (वर्ष 1974 का संख्या 6) के उपबंधों को गैर अपराधिकृत करना है;

और, चूँकि, क्रमशः उत्तर प्रदेश विधान सभा ने दिनांक 11 अगस्त, 2025 को और उत्तर प्रदेश विधान परिषद ने दिनांक 12 अगस्त, 2025 को संविधान के अनुच्छेद 252 के खंड (1) के साथ पठित उसके खंड (2) के अधीन संकल्प पारित करके जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) संशोधन अधिनियम, 2024 (सन् 2024 का संख्या 5) को अंगीकृत किया है;

अतएव, अब, राज्यपाल महोदय, एतद्द्वारा जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) संशोधन अधिनियम, 2024 (सन् 2024 का संख्या 5) को सहर्ष अधिसूचित करते हैं, जो दिनांक 12 अगस्त, 2025 से सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश राज्य में लागू होगा।

आज्ञा से,

अनिल कुमार,

प्रमुख सचिव।

———————

No. 1494/LXXXI-6–2025(1825635)
Dated, Lucknow, September 18, 2025

WHEREAS the Parliament had enacted the Water (Prevention and Control of Pollution) Amendment Act, 2024 (No.5 of 2024) which was notified on February 15, 2024;

AND, WHEREAS, the aim of this Amendment Act is to decriminalize the provisions of the original Act "the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974" (6 of 1974) to facilitate ease of doing business in the country and to streamline the process of nomination of Chairman of State Pollution Control Boards;

AND, WHEREAS, the Uttar Pradesh Legislative Assembly on August 11, 2025 and Uttar Pradesh Legislative Council on August 12, 2025 respectively has adopted the Water (Prevention and Control of Pollution) Amendment Act, 2024 (No.5 of 2024) by passing resolution under clause(1) of Article 252 of the constitution *read* with clause(2) thereof;

NOW, THEREFORE, the Governor is hereby pleased to notify the Water (Prevention and Control of Pollution) Amendment Act, 2024(No.5 of 2024) shall be applicable in the whole of State of Uttar Pradesh with effect from August 12, 2025.

By order,
ANIL KUMAR,
Pramukh Sachiv.

पी0एस0यू0पी0—ए0पी0 199 राजपत्र—2025—(607)—599+50=649 प्रतियां—(डी0टी0पी0 / ऑफसेट) ।

199 RPH (Paryavaran Anubhag-6) 2025 data 4e